



भारतीय अन्तर्रेशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार)

मुख्यालय : ए-१३, सैकटर-१, नौएडा-२०१ ३०१, (उ० प्र०)

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

(Ministry of Shipping, Govt. of India)

Head Office : A-13, Sector-1, Noida-201 301 (U.P.)

Website : www.iwai.gov.in | www.iwai.nic.in

Tel. : +91-120-2544036, 2543972, 2527667, 2448101 Fax : +91-120-2544009, 2544041, 2543973, 2521764

No.IWAI/Cargo/316/ALL/2019/Pt.

Date: 17-03-2020

To,
The Chief Engineer,
Inland Waterways Authority of India
Patna

Sub: Levy and collection of Fee & Charges for MMT Sahibganj – reg.

Ref.: IWAI/PTN/17 (35)/Levy Coll/2019-20/1778 dated 15-02-2020.

Sir,

Please refer to the above letter regarding necessary guidance from IWAI, HQ, for raising bill of usage charges to the users at MMT Sahibganj under IWAI Patna jurisdiction, as per the notified Gazette.

2. In this regard, I am directed to inform that, Competent Authority has approved to adopt fees structure of GR Jetty, Kolkata mentioned under Schedule-III of the Gazette notification of Inland Waterways Authority of India (Levy and Collection of fees and charges) Amendment Regulations, 2019 (*copy enclosed*), till the PPP operator is in place.

3. This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

(A. K. Bansal)
Director (Traffic & Logistics)
Email: akbansal.iwai@nic.in
Phone: 0120-2543931

Encl.: As above.

Copy to:

1. Chief Engineer (Technical)
2. Chief Engineer & Project Manager, JMVP.
3. Director, IWAI Kolkata.
4. Deputy Director, Sahibganj.

Copy for information to: (*by email*)

PPS/PS/PA Vice Chairman/ Member (Finance)/ Member (Technical)/ Member (Traffic), IWAI.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940

No. 359]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नौएडा, 20 सितम्बर, 2018

सं. भाअजप्रा/पी आर-17/आईएफसी/(आईएनटीजी)/2015/खण्ड (IV).—भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 17 के साथ पठित धारा 35 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्ग्रहण और संग्रहण) विनियम, 2011 में संशोधन करने के लिए प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्ग्रहण और संग्रहण) संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।
(2) यह विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्ग्रहण और संग्रहण) विनियम, 2011 (इसके पश्चात कथित विनियम के रूप में संदर्भित), खण्ड (ख), (ग) और (घ) के लिए विनियम 2 में निम्नलिखित खण्डों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
(ख) "प्राधिकरण" से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ग) "शुल्क और प्रभारों" से राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग हेतु और प्राधिकरण द्वारा सूजित अवसंरचना के उपयोग हेतु जलयान अथवा कार्गों स्वामियों को दी गई सेवा के लिए विनियम 4 में प्रदान किए जाने वाले 'शुल्क और प्रभार' अभिप्रेत हैं, और इसमें प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किसी प्रचालक द्वारा जलयान या कार्गों स्वामियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभार शामिल हैं।
(गक) "प्रचालक" से अभिप्राय कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के तहत पंजीकृत किसी कम्पनी से है, जो अन्तर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए प्राधिकरण के साथ अनुबंधित है और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अपनी सेवाओं के लिए शुल्क और प्रभार का संग्रहण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत है।
(घ) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. इन कथित विनियमों में, विनियम 3 में, प्रारंभिक भाग में, "प्राधिकरण को वर्गीकृत किया जाएगा", शब्दों के लिए, "प्राधिकरण या प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत किसी प्रचालक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, वर्गीकृत किया जाएगा", प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. इन कथित विनियमों में, विनियम 4 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- "4. शुल्क और प्रभारों का भुगतान — प्रत्येक जलयान या कार्गो रवानी प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक या प्राधिकरण द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत किसी प्रचालक, जैसी भी स्थिति हो, को नीचे विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रभारों का भुगतान करेगा:—
 (क) सभी टर्मिनलों के लिए जलमार्ग उपयोग प्रभारों, जलयान संबंधित प्रभारों और संयुक्त प्रभारों से संबंधित शुल्क एवं प्रभार का भुगतान अनुसूची I में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।
 (ख) जलमार्ग उपयोग प्रभारों, जलयान संबंधी प्रभारों और संयुक्त प्रभारों के अतिरिक्त शुल्कों का भुगतान :—
 (i) कोलकाता के टर्मिनलों (गार्डन रीच जेटटी—I, गार्डन रीच जेटटी—II और ब्रिटिश इण्डियन स्टीमर नेवीगेशन जेटटी) और कालूघाट (जिला सारन) को छोड़कर सभी टर्मिनलों के लिए अनुसूची II के अनुसार किया जाएगा।
 (ii) कोलकाता में टर्मिनलों (गार्डन रीच जेटटी—I, गार्डन रीच जेटटी—II और ब्रिटिश इण्डियन स्टीमर नेवीगेशन जेटटी) और कालूघाट (जिला सारन) के लिए अनुसूची III के अनुसार किया जाएगा।"
5. इन कथित विनियमों में, विनियम 5 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- "5. लेखों का रखरखाव—प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अथवा प्राधिकरण द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत किसी प्रचालक से प्राप्त, जैसी भी स्थिति हो, शुल्क और प्रभारों का लेखा—जोखा रखेंगे।"
6. इन कथित विनियमों में, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची I
[विनियम 4(क) देखें]

(सभी टर्मिनलों के लिए जलमार्ग उपयोग प्रभार, जलयान संबंधी प्रभार और संयुक्त प्रभार)

(I) जलमार्ग उपयोग प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.	कार्गो जलयानों का संचलन	0.02/- प्रति सकल पंजीकृत टनभार (जीआरटी) प्रति किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के उपयोग के लिए।
2.	क्रूज जलयानों का संचलन	(i) राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के पचास किलोमीटर की दूरी (एक तरफ की दूरी) तक के उपयोग हेतु कोई प्रभार नहीं। (ii) 0.05/- प्रति सकल पंजीकृत टनभार (जीआरटी) प्रति किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के पचास किलोमीटर से अधिक की दूरी के उपयोग के हेतु।
3.	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त किसी अन्य जलयान का संचलन	0.02/- प्रति सकल पंजीकृत टनभार (जीआरटी) प्रति किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग और भारतीय सीमा के भीतर भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के उपयोग के लिए।

(II) जलयान से सम्बद्ध प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.	बथिंग प्रभार	(i) 1000/- कोलकाता/हल्दिया के लिए चौबीस घण्टे अथवा उसके किसी भाग हेतु — प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक।

		(ii) 500/- पटना/गुवाहाटी और साष्टीय जलमार्ग-3 के टर्मिनलों के लिए चौबीस घण्टे अथवा उसके किसी भाग हेतु — प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक। (iii) 100/- अस्थायी पांटूनों के लिए चौबीस घण्टे अथवा उसके किसी भाग हेतु — प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक।
2.	टोएज	विशेष अनुरोध पर वास्तविक लागत के अनुरूप।
3.	पायलटेज	750/- प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए प्रति पायलट।

(III) संयुक्त प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.	वृहत् आकार के कार्गो का संचलन (ओडीसी)	1.50/- प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर*

* ओडीसी प्रभारों का भुगतान करने वाले उपयोगकर्ता को जलमार्ग प्रभारों और जलयान से सम्बद्ध प्रभारों से मुक्त रखा जाएगा।

अनुसूची II
[विनियम 4 (ख) (i) देखें]

{अनुसूची III में विशेष रूप से उल्लिखित टर्मिनलों के अतिरिक्त अन्य टर्मिनलों के लिए शुल्क (जलमार्ग उपयोग प्रभारों, जलयान से सम्बद्ध प्रभारों और संयुक्त प्रभारों के अलावा)}

(I) कार्गो से सम्बद्ध प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.		टर्मिनल प्रभार
(i)	शुष्क कार्गो	1/- प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ii)	तरल कार्गो	1/- प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ii)	कंडेनर कार्गो	50/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) के लिए एवं 75/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) के लिए
2.	पारगमन शेड प्रभार	(क) प्रथम सात दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 5/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अगले चौदह दिनों तक अथवा उसके किसी भाग के लिए। (ग) 10/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अगले चौदह दिनों तक अथवा उसके किसी भाग के लिए। (घ) 40/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए और उपर्युक्त पैंतीस दिनों के पश्चात अच्छादित क्षेत्र/पारगमन शेड/प्रांगण को खाली कराने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटा देगा और निस्तारण कर देगा। (प्रतिदिन— प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)
3.	खुले स्थान पर भंडारण प्रभार	
(i)	हार्ड स्टैंड	(क) प्रथम सात दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 2/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए अगले चौदह दिनों तक (ग) 4/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अगले चौदह दिनों तक अथवा उसके किसी भाग के लिए। (घ) 16/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए और उपर्युक्त पैंतीस दिनों के पश्चात और हार्ड स्टैंड/प्रांगण को खाली कराने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटाएगा और निस्तारण कर देगा। (प्रतिदिन— प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)

(ii)	खुले क्षेत्र में	(क) प्रथम सात दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 1/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अगले चौदह दिनों तक अथवा उसके किसी भाग के लिए। (ग) 2/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अगले चौदह दिनों तक अथवा उसके किसी भाग के लिए। (घ) 8/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए उपर्युक्त पैंतीस दिनों के पश्चात और खुले क्षेत्र/प्रांगण को खाली करने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटाएगा और निरस्तारण कर देगा। (प्रतिदिन— प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)
------	------------------	--

(II) विविध प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.	क्रेन (पांडून क्रेन सहित) भाड़ा प्रभार	800/- आठ घण्टे की प्रति पाली हेतु पाँच मीट्रिक टन तक की क्षमता की क्रेनों के लिए।
		2000/- आठ घण्टे की प्रति पाली हेतु बीस मीट्रिक टन तक की क्षमता की क्रेनों के लिए।
		2500/- आठ घण्टे की प्रति पाली हेतु बीस मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता की क्रेनों के लिए।
2.	कंटेनर क्रेन	1100/- प्रति घण्टे अथवा उसके किसी भाग के लिए
3.	फोर्क लिफ्ट	600/- आठ घण्टे की प्रति पाली हेतु तीन मीट्रिक टन तक की क्षमता की फोर्क लिफ्ट के लिए।
4.	जलयान को विद्युत आपूर्ति	विद्युत बोर्ड/प्राधिकरण की वास्तविक दरों के अनुरूप अधिभार सहित।
5.	ईंधन/पेट्रोलियम तेल ल्युब्रिकेन्ट्स की बंकरिंग	बाजार दर एवं अधिभार, परिवहन इत्यादि के अनुरूप
6.	जल आपूर्ति	300/- प्रति किलोलीटर
7.	मल निस्तारण	100/- प्रति किलोलीटर
8.	तौल माप	5/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) न्यूनतम 50/- तौल प्रमाण पत्र जारी करना: पच्चीस रुपए प्रति वाहन

अनुसूची III
[विनियम 4 (ख) (ii) देखें]

{ कोलकाता के टर्मिनलों (गार्डन रीच जेटी—I गार्डन रीच जेटी—II और ब्रिटिश इण्डियन स्टीमर नेवीगेशन जेटी) और कालूघाट (जिला सारन) के लिए शुल्क (जलमार्ग उपयोग प्रभारों, जलयान से सम्बद्ध प्रभारों और संयुक्त प्रभारों के अलावा)}

(III) कार्गो से सम्बद्ध प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.	टर्मिनल प्रभार	
(i)	शुष्क कार्गो	21/- प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए

(ii)	तरल कार्गो	21/- प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए
(iii)	कंटेनर कार्गो	420/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) के लिए एवं 800/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफ ई यू) के लिए
2. हैंडलिंग प्रभार—ब्रेक बल्क कार्गो (निर्यात और आयात)		
(क)		बैग कार्गो
(i)	जहाज से तट और उसके विपरीत जी आर टी क्रेन का उपयोग करने पर निर्वहन प्रभार	160/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ii)	जेट्टी से भण्डारण यार्ड/वेयर हाउस तक और इसके विपरीत संचलन	50/- प्रति मीट्रिक टन (एटी) अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ख)		लकड़ी के बक्से या डिब्बे में कार्गो
(i)	जहाज से तट और उसके विपरीत जी आर टी क्रेन का उपयोग करने पर निर्वहन प्रभार	250/- प्रति मीट्रिक टन (एम टी) अथवा घन मीटर (सीबीएम), जो भी अधिक हो।
(ii)	जेट्टी से भण्डारण यार्ड/वेयर हाउस तक और इसके विपरीत संचलन	80/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर (सीबीएम), जो भी अधिक हो।
(ग)		लोहा और इस्पात
(i)	जहाज से तट और उसके विपरीत जी आर टी क्रेन का उपयोग करने पर निर्वहन प्रभार	300/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ii)	जेट्टी से भण्डारण यार्ड/वेयर हाउस तक और इसके विपरीत संचलन	100/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा उसके किसी भाग के लिए
3. ट्रक लदाई/उत्तराई प्रभार		
(i)	ट्रक लदाई/उत्तराई	50/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर (सीबीएम)
4. भण्डारण		
(i)	वेयरहाउस	(क) प्रथम तीन दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 15/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर अथवा उसके किसी भाग के लिए अगले बारह दिनों तक। (ग) 27/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर (सीबीएम) अथवा उसके किसी भाग के लिए और अगले पन्द्रह दिनों तक। (घ) 54/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) घन मीटर (सीबीएम) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए तीस दिन पश्चात।
(ii)	खुला यार्ड	(क) प्रथम तीन दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 12/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर (सीबीएम) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए अगले बारह दिनों तक। (ग) 22/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर (सीबीएम) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए अगले पन्द्रह दिनों तक। (घ) 44/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) घन मीटर (सीबीएम) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए तीस दिन पश्चात।
5. बल्क कार्गो के लिए हैंडलिंग प्रभार (निर्यात और आयात)		
(क)		स्टोन चिप्स
(i)	यांत्रिक साधनों द्वारा जलयान पर लदाई/उत्तराई, यार्ड अथवा ट्रक के लिए संचलन और ट्रक पर/से लदाई/उत्तराई के लिए संयुक्त प्रभार	170/- प्रतिटन
(ख)	फ्लाई ऐट	
(i)	वायवीय माध्यमों से जलयान पर लदाई/उत्तराई, यार्ड अथवा ट्रक के लिए संचलन और ट्रक पर/से लदाई/उत्तराई के लिए संयुक्त प्रभार	45/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी)
6. कंटेनर टर्मिनल सेवा		
(क)	भरे हुए कंटेनर, लदाई अथवा निर्वहन	4500/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 6000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफ ई यू) कंटेनर और 6800/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर

(ख)	खाली कंटेनर, लदाई अथवा निर्वहन	1800/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 2200/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर और 2500/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर
(ग)	जेटटी से जीआरटी भण्डारण यार्ड और स्टेकिंग तक अथवा इसके विपरीत कंटेनर परिवहन	850/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 1000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर और 1200/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर
7.	कंटेनर-निर्यात	
(क)	जी आर टी भण्डारण यार्ड से खाली कंटेनर का उठाना, भराई की व्यवस्था, ट्रक से कार्गो प्राप्ति, सीमा शुल्क परीक्षण, कंटेनर में भराई और भरे हुए कंटेनर का जीआरटी जेटटी तक परिवहन	5500/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 11000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर और 13000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर
(ख)	लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ*	700/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 1300/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर और 1300/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर

45 फुट कंटेनर के लिए शुल्क, एफईयू कंटेनर के लिए शुल्क से 1.25 गुना अधिक होगा और जमीन किराया एफईयू कंटेनर के लिए किराए का दो गुना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उस दिन की विनिमय दर, मुद्रा रूपांतरण के लिए लागू की जाएगी।

* निर्यातकों द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी भी अतिरिक्त संचलन के लिए।

लेडन कंटेनर		
(ग)	लेडन कंटेनर के निर्यात का भंडारण	(क) प्रथम तीन दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 6 (अमेरिकी डॉलर में रूपए के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए (ग) 12 (अमेरिकी डॉलर में रूपए के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए (घ) 24 (अमेरिकी डॉलर में रूपए के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए (ङ) 48 (अमेरिकी डॉलर में रूपए के बराबर) प्रति टीईयू प्रतिदिन उपर्युक्त 21 दिन बाद

45 फुट कंटेनर के लिए शुल्क, एफईयू कंटेनर के लिए शुल्क से 1.25 गुना अधिक होगा और जमीन किराया एफईयू कंटेनर के लिए किराए का दो गुना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उस दिन की विनिमय दर, मुद्रा रूपांतरण के लिए लागू की जाएगी।

कंटेनर आयात		
(क)	यार्ड खाली करने के लिए जीआरटी भंडारण यार्ड से लेडन कंटेनर हटाना, सीमा-शुल्क परीक्षण, कंटेनर को खाली करना और खाली यार्ड से जीआरटी खाली यार्ड तक खाली कंटेनर का परिवहन	5500/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टी ई यू) कंटेनर, 11000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफ ई यू) कंटेनर और 13000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर
(ख)	लेडन कंटेनर के आयात का भंडारण	क. प्रथम तीन दिनों के लिए निःशुल्क ख. 6 (रूपए में अमेरिकी डॉलर के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए ग. 12 (रूपए में अमेरिकी डॉलर के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए घ. 24 (रूपए में अमेरिकी डॉलर के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए ङ. 48 (रूपए में अमेरिकी डॉलर के बराबर) प्रति टीईयू प्रतिदिन 21 दिन बाद

45 फुट कंटेनर के लिए शुल्क, एफईयू कंटेनर के लिए शुल्क से 1.25 गुना अधिक होगा और जमीन किराया एफईयू कंटेनर के लिए किराए का दो गुना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उस दिन की विनिमय दर, मुद्रा रूपांतरण के लिए लागू की जाएगी।

कंटेनर - खाली कंटेनर		
(क)	लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ	350/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टी ई यू) कंटेनर, 550/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफ ई यू) कंटेनर और 550/- प्रति चालीस

(ख)	जमीन किराया	फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर 70/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टी ई यू) कंटेनर, 140/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफ ई यू) कंटेनर और 140/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर
45 फुट कंटेनर के लिए शल्क, एफईयू कंटेनर के लिए शुल्क से 1.25 गुना अधिक होगा और जमीन किराया एफईयू कंटेनर के लिए किराए का दो गुना होगा।		
10.		कंटेनर-परिवहन
(क)	लेडन और खाली कंटेनर का आवागमन, जीआरटी से एनएसडी/केपीटी तक लाना—ले जाना	1500/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 2500/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर और 2500/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर
45 फुट कंटेनर के लिए शल्क, एफईयू कंटेनर के लिए शुल्क से 1.25 गुना अधिक होगा और जमीन किराया एफईयू कंटेनर के लिए किराए का दो गुना होगा।		
11.		कंटेनर-रीफर कंटेनर
(क)	कंटेनर पावर प्लग	750/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर और 1500/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर, 8 घण्टे या उसके किसी भाग के लिए
(ख)	बिजली की निगरानी	750/- 8 घण्टे या उसके किसी भाग के लिए

(II) विविध प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.	जलयान को विद्युत आपूर्ति	विद्युत बोर्ड/प्राधिकरण की वास्तविक दरों के अनुरूप अधिभार सहित
2.	ईंधन/पेट्रोलियम तेल ल्युब्रिकेन्ट्स का बंकरिंग	बाजार दर एवं अधिभार के अनुसार
3.	जल आपूर्ति	500/- प्रति किलोलीटर
4.	तौल माप	15/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) (न्यूनतम 500/-) तौल प्रमाण पत्र जारी करना : 50/- प्रति वाहन
5.	भारमान	400/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर और 600/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर
6.	सत्यापित सकल द्रव्यमान	1000/- प्रति कंटेनर
7.	मूरिंग और सहायक कार्य	4000/- 8 घण्टे अथवा उसके किसी भाग के लिए
8.	बर्थिंग और अनबर्थिंग सहायता सेवाएं (प्रति बर्थ/जलयात्रा)	2000/-
9.	रो-रो के लिए बर्थिंग और अनबर्थिंग सहायता सेवाएं (प्रति बर्थ/जलयात्रा)	1500/-
10.	सील काटने/सील फिक्सिंग हेतु प्रभार	100- प्रति कंटेनर
11.	भरे हुए कंटेनर का सर्वेक्षण प्रभार	300/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 600/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर
12.	कार्गो सर्वेक्षण प्रभार	300/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर और 500/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर

13.	कंटेनर प्रविष्टि	150/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर और 300/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर
14.	फैले हुए कार्गो की सफाई	150— प्रति कंटेनर
15.	बैगिंग प्रभार (थोक माल के मामले में पीपी बैग में)	13— प्रति किलोग्राम
16.	बहुविध पोत बिल के मामले में सीमा—शुल्क मूल्यांकन प्रभार	750/- प्रति पोत बिल/प्रविष्टि का बिल
17.	भरे हुए कंटेनर का आंतरिक स्थानांतरण	700/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर और 1225/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर
18.	ट्रक प्रविष्टि	50/-
19.	ट्रक का वनज	200/- प्रति ट्रक
20.	रो—रो ट्रक के लिए टर्मिनल प्रभार	150/- खाली ट्रक के लिए 200/- 12 टन तक 300/- 12 टन से अधिक
21.	ट्रक पार्किंग	100— प्रति घण्टा रो—रो जलयान के माध्यम से टर्मिनल पर आने वाले ट्रक का आवागमन निःशुल्क होगा

(III) छूट

इस अनुसूची में शामिल टर्मिनलों के प्रचालक निर्धारित दर में कोई छूट दे सकते हैं। हालांकि छूट की वह राशि केवल प्रचालक के राजस्व हिस्से से होगी और ऐसी छूटों के कारण प्राधिकरण का राजस्व हिस्सा प्रभावित नहीं होगा।

[विज्ञापन—III/4/असा./235/18]

अजय कुमार गुप्ता, सचिव

टिप्पणी: भारत के राजपत्र में दिनांक 16 जुलाई, 2011 को संख्या आइडब्ल्यूएआई/कार्गो/184/2009 के अंतर्गत प्रकाशित भारतीय अन्दरशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्ग्रहण और संग्रहण) विनियम, 2011 प्रमुख विनियम हैं।

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Noida, the 20th September, 2018

No. IWAI/PR-17/IFC/(INTG)/2015/Vol. IV.—In exercise of the powers conferred by section 35 read with section 17 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Inland Waterways Authority of India (Levy and Collection of fees and charges) Regulations, 2011, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Inland Waterways Authority of India (Levy and Collection of fees and charges) Amendment Regulations, 2018.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Waterways Authority of India (Levy and Collection of fees and charges) Regulations, 2011 (herein after referred to as the said regulations), in regulation 2, for clauses (b),(c) and (d), the following clauses shall be substituted , namely :-
- ‘(b) “Authority” means Inland Waterways Authority of India;
- (c) “fees and charges” means the fees and charges as provided in regulation 4 payable for the services provided to the vessel or cargo owners for usage of infrastructure created by the Authority and for use of national waterways and includes the charges for services provided to the vessel or cargo owners by any operator duly authorized by the Authority;
- (ca) “Operator” means a company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) which has entered into a contract with the Authority for operation and maintenance of an inland waterways terminal and is authorized by the Authority to collect fees and charges for its services as specified in these regulations;
- (d) “Schedule” means a Schedule annexed to these regulations;
3. In the said regulations, in regulation 3, in the opening portion, for words “the Authority shall be classified”, the words “the Authority or by any operator duly authorized by the Authority, as the case may be, shall be classified” shall be substituted.
4. In the said regulations, for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely :-
- “4. Payment of fees and charges- Every vessel or cargo owner shall pay to the Director of Regional Office of the Authority or to any operator duly authorized by the Authority, as the case may be, the fees and charges as specified below: -
- Payment of fees and charges related to Waterways usage charges, Vessel related charges and Composite charges for all terminals shall be made as specified in Schedule I;
 - Payment of fees, other than Waterways usage charges, vessel related charges and Composite charges, shall :-
- for all terminals, except the terminals at Kolkata (Garden Reach Jetty –I, Garden Reach Jetty-II and British Indian Steamer Navigation Jetty) and Kalughat (District Saran) be made as per Schedule II;
 - for the terminals at Kolkata (Garden Reach Jetty –I, Garden Reach Jetty-II and British Indian Steamer Navigation Jetty) and Kalughat (District Saran) be made as per Schedule III;
5. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely:-
- “5. Maintenance of Accounts – Director of Regional Office of the Authority shall maintain an account of the fees and charges received by the Authority, or as the case may be, received from any operator duly authorized by the Authority”.
6. In the said regulations, for Schedule, the following Schedules shall be substituted, namely:-

Schedule I

[See regulation 4 (a)]

(For Waterways usage charges, Vessel related charges and Composite charges for all terminals)

(I) Waterway usage charges

Sl. No.	Name of the service	Charges (in rupees)
1.	Movement of cargo vessels	0.02 per gross registered tonnage (GRT) per kilometer for use of National Waterways and Indo-Bangladesh Protocol Route
2.	Movement of cruise vessels	Nil for use of National Waterways and Indo-Bangladesh Protocol Route up to a distance of fifty kilometers (One-way distance). (i) 0.05 per gross registered tonnage (GRT) per kilometer for use of National Waterways and Indo-Bangladesh Protocol Route beyond a distance of fifty kilometers.
3.	Movement of any other vessel not covered in above categories	0.02 per gross registered tonnage (GRT) per kilometer for use of National Waterways and Indo-Bangladesh Protocol Route within Indian territory.

(II) Vessel related charges

Sl. No.	Name of the service	Charges (in rupees)
1.	Berthing charges	(i) 1000/- for Kolkata/Haldia for twenty-four hours or part thereof – 6AM to 6AM next day. (ii) 500/- for Patna/Guwahati and terminals on National Waterway-3 for twenty-four hours or part thereof – 6AM to 6AM next day. (iii) 100/- for temporary pontoons for twenty-four hours or part thereof – 6AM to 6AM next day.
2.	Towage	On specific request as per actual cost.
3.	Pilotage	750/- per day or part thereof per pilot.

(III) Composite charges

Sl. No.	Name of the service	Charges (in Rupees)
1.	Movement of Over Dimensional Cargo (ODC)	1.50/- Per metric ton per kilometer*

*A user paying ODC charges would be exempt from payment of waterway charges and vessel related charges.

Schedule II

[See regulation 4 (b)(i)]

{Fees (other than Waterways usage charges, Vessel related charges and Composite charges) for terminals other than those specifically mentioned in Schedule III}

(I) Cargo related charges

Sl. No.	Name of the service	Charges (in rupees)
Terminal Charges		
(i)	Dry cargo	1/- per ton part thereof
(ii)	Liquid cargo	1/- per ton or part thereof

(iii)	Containerised cargo	50/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) and 75/- per forty-foot equivalent unit (FEU)
2.	Transit shed charges	<p>(a) Free for first seven days</p> <p>(b) 5/- per metric ton (MT) per day or part thereof for next fourteen days</p> <p>(c) 10/- per metric ton (MT) per day or part thereof for further fourteen days</p> <p>(d) 40/- per metric ton (MT) per day or part thereof after thirty-five days and the cargo shall be caused to be removed without notice and disposed off by the Authority at the risk and cost of the owner to vacate the covered area/transit shed/premises and to recover due payment.</p> <p>(Per day – 6AM to 6AM next day)</p>
3.	Open storage charges	<p>(i) Hard stand</p> <p>(a) Free for first seven days</p> <p>(b) 2/- per metric ton (MT) per day or part thereof for next fourteen days</p> <p>(c) 4/- per metric ton (MT) per day or part thereof for further fourteen days</p> <p>(d) 16/- per metric ton (MT) per day or part thereof after thirty-five days and the cargo shall be caused to be removed without notice and disposed off by the Authority at the risk and cost of the owner to vacate the hard stand/premises and to recover due payment.</p> <p>(Per day – 6AM to 6AM next day)</p> <p>(ii) On open area</p> <p>(a) Free for first seven days</p> <p>(b) 1/- per metric ton (MT) per day or part thereof for next fourteen days</p> <p>(c) 2/- per metric ton (MT) per day or part thereof for further fourteen days</p> <p>(d) 8/- per metric ton (MT) per day or part thereof after thirty-five days and the cargo shall be caused to be removed without notice and disposed off by the Authority at the risk and cost of the owner to vacate the open area/premises and to recover due payment.</p> <p>(Per day – 6AM to 6AM next day)</p>

(II) Miscellaneous charges

Sl. No.	Name of the service	Charges (in rupees)
1.	Crane (including pontoon crane) hire charges	800/- per shift of eight hours for the cranes of the capacity up to five metric tons. 2000/- per shift of eight hours for the cranes of the capacity up to twenty metric tons.

		2500/- per shift of eight hours for the cranes of the capacity of more than twenty metric tons.
2.	Container crane	1100/- per hour or part thereof
3.	Fork lift	600/- per shift of eight hours for the fork lift of the capacity up to three metric tons.
4.	Electric supply to the vessel	As per the actual rates of the Electricity Board/Authority including surcharge.
5.	Bunkering of fuel/petroleum oil lubricants	As per market rate and surcharge, transport etc.
6.	Water supply	300/- per kilolitre
7.	Sewage disposal	100/- per kilolitre
8.	Weighing scale	5/- per metric ton (MT). Minimum 50/- Issue of weight certificate : Rupees twenty five per vehicle

Schedule III

[See regulations 4 (b)(ii)]

{ Fees (other than Waterways usage charges, Vessel related charges and Composite charges) for terminals at Kolkata (Garden Reach Jetty –I, Garden Reach Jetty-II and British Indian Steamer Navigation Jetty) and Kalughat (District Saran)}

(I) Cargo related charges

Sl. No	Name of the service	Charges (in Rupees)
Terminal Charges		
1.	Dry cargo	21/- per tonne or part thereof
(i)	Liquid cargo	21/- per tonne or part thereof
(iii)	Containerised cargo	420/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) and 800/- per forty-foot equivalent unit (FEU)
Handling charges - Break Bulk Cargo (Export and Import)		
(a) Bagged Cargo		
(i)	Discharging charges from ship to shore and vice-versa using GRT crane	160/- per metric tonne (MT) or part thereof
(ii)	Movement from jetty to storage yard / warehouse and vice-versa	50/- per metric tonne (MT) or part thereof
(b) Cargo in wooden box or cartons		
(i)	Discharging charges from ship to shore and vice-versa using GRT crane	250/- per metric tonne (MT) or cubic meters (CBM), whichever is higher

(ii)	Movement from jetty to storage yard / warehouse and vice-versa	80/- per metric tonne (MT) or cubic meters (CBM), whichever is higher
(c)		Iron and steel
(i)	Discharging charges from ship to shore and vice-versa using GRT crane	300/- per metric tonne (MT) or part thereof
(ii)	Movement from jetty to storage yard / warehouse and vice-versa	100/- per metric tonne (MT) or part thereof
3.	Truck loading/ unloading charges	
(i)	Truck loading/unloading	50/- per metric tonne (MT) or cubic meter (CBM)
4.	Storage	
(i)	Warehouse	<ul style="list-style-type: none"> a. Free for first three days b. 15/- per metric tonne (MT) or cubic meter or part thereof for next twelve days c. 27/- per metric tonne (MT) or cubic meter (CBM) or part thereof for further fifteen days d. 54/- per metric tonne (MT) or cubic meter (CBM) per day or part thereof after thirty days
(ii)	Open Yard	<ul style="list-style-type: none"> a. Free for first three days b. 12/- per metric tonne (MT) or cubic meter (CBM) per day or part thereof for next twelve days c. 22/- per metric tonne (MT) or cubic meter (CBM) per day or part thereof for further fifteen days d. 44/- per metric tonne (MT) or cubic meter (CBM) per day or part thereof after thirty days
5.	Handling charges for Bulk Cargo (Export and Import)	
(a)	Stone chips	
(i)	Composite charge for loading/unloading on to vessel by mechanical means, movement to yard or truck and loading/unloading on/from Truck	170/- per tonne
(b)	Fly Ash	
(i)	Composite charge for loading/unloading on to vessel by pneumatic means, movement to yard or truck and loading/unloading on/from Truck	45/- per metric tonne (MT)
6.	Container - Terminal Service	
(a)	Loaded container, Loading or Discharging	4500/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container, 6000/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container and 6800/- per forty-foot equivalent high cube unit container

(b)	Empty container, Loading or Discharging	1800/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container, 2200/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container and 2500/- per forty-foot equivalent high cube unit container
(c)	Transportation of containers from Jetty to GRT storage yard and stacking or vice versa	850/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container, 1000/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container and 1200/- per forty-foot equivalent high cube unit container

7. Container – Export

(a)	Pick up of empty container from GRT storage yard, placement for stuffing, cargo receiving from truck, Customs examinations, stuffing in container and transportation of the loaded container up to GRT jetty	5500/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container, 11000/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container and 13000/- per forty-foot equivalent high cube unit container
(b)	Lift-On / Lift-Off*	700/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container, 1300/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container and 1300/- per forty-foot equivalent high cube unit container

For 45 feet containers, the fees shall be 1.25 times higher than Fee for FEU containers and ground rent shall be twice the rent for FEU containers. RBI declared exchange rate for the conversion of currency applicable for the day shall be applied.

*for any additional movement if requested by exporters

		Laden containers
(c)	Storage for export laden containers	<ul style="list-style-type: none"> a. Free for first three days b. 6 (USD equivalent in Rupees) per TEU for next six days c. 12 (USD equivalent in Rupees) per TEU for next six days d. 24 (USD equivalent in Rupees) per TEU per day for the next six days e. 48 (USD equivalent in Rupees) per TEU per day after 21 days

For 45 feet containers, the fees shall be 1.25 times higher than Fee for FEU containers and ground rent shall be twice the rent for FEU containers. RBI declared exchange rate for the conversion of currency applicable for the day shall be applied.

8. Container – Import

(a)	Removal of laden container from GRT storage yard to un-stuffing yard, Custom examinations, un-stuffing of container and transportation of empty container from un-stuffing yard to GRT empty yard	5500/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container, 11000/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container and 13000/- per forty-foot equivalent high cube unit container
(b)	Storage of Import laden containers	<ul style="list-style-type: none"> a. Free for first three days b. 6 (USD equivalent in Rupees) per TEU for next six days c. 12 (USD equivalent in Rupees) per TEU for next six days d. 24 (USD equivalent per TEU per day for the next six days e. 48 (USD equivalent in Rupees) per TEU per day after 21 days

For 45 feet containers, the fees shall be 1.25 times higher than Fee for FEU containers and ground rent shall be twice the rent for FEU containers. RBI declared exchange rate for the conversion of currency applicable for the day shall be applied.

9.	Container - Empty Container	
(a)	Lift-On / Lift-Off	350/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container, 550/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container and 550/- per forty-foot equivalent high cube unit container
(b)	Ground Rent	70/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container, 140/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container and 140/- per forty-foot equivalent high cube unit container

For 45 feet containers, the fees shall be 1.25 times higher than Fee for FEU containers and ground rent shall be twice the rent for FEU containers.

10.	Container – Transportation	
(a)	Laden and empty transportation to and from GRT to NSD/KPT	1500/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container, 2500/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container and 2500/- per forty-foot equivalent high cube unit container

For 45 feet containers, the fees shall be 1.25 times higher than Fee for FEU containers and ground rent shall be twice the rent for FEU containers.

11.	Container - Reefer Container	
(a)	Container power plug	750/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container and 1500/- per forty-foot equivalent (FEU) container for 8 hours or part thereof
(b)	Power monitoring	750/- for 8 hours or part thereof

(II) Miscellaneous charges

Sl. No	Name of the service	Charges (in Rupees)
1.	Electric supply to the vessel	As per the actual rates of the Electricity Board/Authority including surcharge
2.	Bunkering of fuel/petroleum oil lubricants	As per market rate and surcharge
3.	Water supply	500/- per kiloliter
4.	Weighing scale	15/- per metric tonne (MT). (Minimum 500/-) Issue of weight certificate: 50/-per vehicle
5.	Weighment	400/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container and 600/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container
6.	Verified gross mass(VGM)	1000/- per container
7.	Mooring and ancillary functions	4000/- for 8 hours or part thereof

8.	Berthing and unberthing assistance services (per Berth/Voyage)	2000/-
9.	Berthing and unberthing assistance services for Ro-Ro (per berth/Voyage)	1500/-
10.	Seal cutting charge/ Seal fixing charge	100/- per container
11.	Loaded Container survey charge	300/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container and 600/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container
12.	Cargo survey charge	300/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container and 500/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container
13.	Container entry	150/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container and 300/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container
14.	Sweeping for spill over cargo	150/- per container
15.	Bagging charge (In pp bags in case of bulk cargo)	13/- per kg
16.	Customs appraisal charges in case of multiple shipping bills	750/- per shipping bill/ bill of entry
17.	Internal shifting of loaded container	700/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) container and 1225/- per forty-foot equivalent unit (FEU) container
18.	Truck entry	50/-
19.	Truck weighment	200/- per truck
20.	Terminal charges Ro-Ro truck	150/- for empty truck 200/- up to 12 tonnes 300/- above 12 tonnes
21.	Truck parking	100/- per hour Truck arriving at terminal via RORO vessel will be allowed to move out free of charge.

(III) Discount

The operator of terminals included in this schedule may offer a discount, if any, on prescribed rates. However, the discount has to be from the revenue share of operator only and the revenue share of Authority shall not get affected due to such discounts.

[ADVT/III/4/Exty./235/18]
AJAY KUMAR GUPTA, Secy.

Foot Note: Inland Waterways Authority of India (Levy and Collection of fees and charges) Regulations, 2011, published in Gazette of India on July 16, 2011 vide no. IWAI/Cargo/184/2009 are the principal regulations.